एम.ए.सी.पी. संख्या ९८/२०१९,
१. श्रीमती केशकली उम्र करीब ३९ वर्ष पत्न स्व. श्री हल्के वंशकार
२. दिनेश उम्र करीब १९ वर्ष पुत्र स्व. हल्के वंशकार
३. अखिलेश नाबालिग उम्र करीब १३ वर्ष पुत्र स्व. श्री हल्के वंशकार नाबालिग जरिये संरक्षिका माँ श्रीमती केशकली
समस्त निवासीगण कस्वा व थाना जीरौन जिला टीकमगढ़, म. प्र.

--------याचीगण

प्रति

१. संतोष अहिरवार पुत्र सीताराम निवासी मकान नं. २९१/६ माता मंदिर के पास खिरकपट्टी पोस्ट भट्टागाँव थाना सदर बाजार जिला झाँसी

........मालिक मोटर साईकिल सं. यू. पी. ९३ बी. ई. ५८४१

२. धर्मेन्द्र अहिरवार पुत्र मूलचन्द्र अहिरवार निवासी २९४/६ खिरकपट्टी पोस्ट भट्टागाँव थाना सदर बाजार जिला झाँसी

........मालिक मोटर साईकिल सं. यू. पी. ९३ बी. ई. ५८४१

३. बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. जी. ई. प्लाजा एयर पोर्ट रोड़ यरबदा पूणे महाराष्ट्र

........बीमा कम्पनी मोटर साईकिल सं. यू. पी. ९३ बी. ई. ५८४१

--------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री इन्द्रपाल सिंह
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री राज तिलक सक्सेना

१२.१२.२०२०

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुयी। यह दावा अब्बू पुत्र स्व. श्री हल्के वंशकार की मोटर वाहन दुर्घटना मे हुई मृत्यु पर ₹ २५,३०,००० क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत हुआ है। उभय पक्ष उपस्थित। याचिगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से २१बी राजीनामा दाखिल किया गया जो उभय पक्ष की उपस्थिति में तस्दीक किया गया ।

याचीगण व विपक्षी स. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता को २१बी सुलहनामा पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। याचीगण व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा २१बी उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया गया है। २१बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ६,२५,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २१बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा २१बी में दर्शित कुल ₹ ६,२५,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २१बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा २१बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २१बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ **६,२५,००० (छैः लाख पच्चीस हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के Punjab National Bank A/c 3671000101192489 IFSC-PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण क्रमशः ७५, १०, १५ प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। याची सं. १ व २ को प्राप्त होने वाली धनराशि में से ७५-७५ प्रतिशत भाग ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जावेगी तथा उनकी शेष २५-२५ प्रतिशत प्रतिकर की धनराशि वे अपने बैंक खाते में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट, नकद प्राप्त कर सकेंगे। याची सं. ३ अखिलेश नाबालिग को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर की धनराशि उसके नाम जरिए संरक्षिका माँ श्रीमती केशकली, उसकी वयस्यकता तक के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वोच्च दर देने वाली सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाएगा रहेगा, जिसकी धनराशि याची सं. ३ वयस्क होने पर प्राप्त कर सकेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 15:45:06 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi